भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1618
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर

†1618. डॉ. शशि थरूर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के वैसे लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने ने वार्षिक रूप से या तो सिलेंडर नहीं लिया अथवा केवल एक बार ही सिलेंडर भरवाया;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मुद्दों का आकलन करने और उनका समाधान करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संकटग्रस्त परिवारों की सहायता करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जो राजसहायता के बावजूद गैस सिलेंडरों के लिए ऊंची कीमत चुका रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्य के नाम पर बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिनांक 01.05.2016 को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरूआत की गई थी। दिनांक 1 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थी हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा लिए गए रीफिलों के ब्यौरे **अनुलग्नक** में है।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत कई कारकों जैसे कि भोजन की आदतें, परिवार का आकार, खाना पकाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, मूल्य और वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

पहल योजना के तहत, घरेलू एलपीजी सिलिंडर गैर-राजसहायता प्राप्त मूल्य पर बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है। उपभोक्ताओं को बैंक खातों में सीधे

राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अन्तरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पर न डालने के कारण उन्हें हुई अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

भारत घरेलू एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। सरकार उपभोक्ता हेतु घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64 प्रतिशत (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से नवंबर 2024 में यूएस अमेरीकी डॉलर 632 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए भारत में घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 प्रतिशत (अगस्त 2023 में 903 रूपए से नवम्बर, 2024 में 503 रुपए तक) तक कमी हुई है।

सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए दिनाँक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के लिए 200 रुपए की कमी की। इसके अलावा, सरकार ने दिनाँक 9 मार्च, 2024 से घरेलू एलपीजी के आरएसपी में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 100 रुपए की कटौती की है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का वर्तमान आरएसपी 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है।

सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और किफायती बनाने के लिए तथा उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए समानुपातिक रूप से यथानिर्धारित) 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है। सरकार ने अक्टूबर, 2023 से निर्धारित राजसहायता को प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए समानुपातिक रूप से यथानिर्धारित) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। कतिपय राज्य सरकारें एलपीजी रीफिल पर कुछ अतिरिक्त राजसहायता प्रदान कर रही हैं और अपने संबंधित बजट से अतिरिक्त लागत वहन कर रही हैं।

इसके अलावा, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पीएमयूवाई लाभार्थियों (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 कि.ग्रा. वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) की प्रति व्यक्ति खपत 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से वित्त वर्ष 2023-24 में 3.95 तक बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) में 4.34 हो गयी है। पीएमयूवाई खपत में अक्टूबर 2023(उक्त अवधि के दौरान कुल पीएमयूवाई खपत में 459 टीएमटी से 570.7 टीएमटी तक वृद्धि हुई है) की तुलना में अक्टूबर 2024 के दौरान 24.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

****

अनुलग्नक

"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1618 के भाग (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष	वित्त वर्ष (ए) की समाप्ति पर पीएमयूवाई ग्राहकों की संख्या	(ए) के अलावा पीएमयूवाई ग्राहकों की संख्या, जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान कोई रीफिल नहीं लिया है	(ए) के अलावा पीएमयूवाई ग्राहकों की संख्या, जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान केवल एक रीफिल (स्थापित रिफिल सहित) लिया है
2021-22	7,99,03,131	91,74,648	1,08,13,246
2022-23	9,58,59,418	1,18,84,259	1,54,74,040
2023-24	10,32,66,007	1,40,48,192	1,66,52,314

स्रोत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

***